N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0232 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 09/09/2025 16:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/04/2014 Date To (दिनांक तक): 11/08/2017

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 09:00 बजे Time To (समय तक): 18:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/09/2025 Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 09/09/2025 16:20:22 बजे

. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 05 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): PRADHAN KARALYA THE PALI CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED, PALI

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KAILASHDAN JUGATAWAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MURARIDANA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1970 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM POST PARLU, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM POST PARLU, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PUSHPENDRA SINGH		पिता:MAHENDRA SINGH	1. KUDKEE,ब्यावर,RAJASTHAN, INDIA
2	GANPAT SINGH		पिता:NARPAT SINGH	1. UTVAN,PALI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	04 करोड 54लाख970रूपये21पैसे	4,00,54,970.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 4,00,54,970.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, मूत्र मूचना दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक 13.03.2019, 17.03.2019 एवं दिनांक 04.04.2019 अनुसार 1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह अध्यक्ष सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, पाली, 2. श्री गणपतसिंह अध्यक्ष सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, पाली, एवं अन्य ने मिलीभगत कर उपभोगता 1. श्री मनोहरसिंह, 2. श्री गणेशदास, 3. श्री नरेश कुमार, 4. प्रकाश, 5. श्याम कुमार माली निवासीगण सुन्दर नगर पाली 6. राजेन्द्र सांखला निवासीगण पाली आदि द्वारा बिना आवेदन किये उक्त आवेदको के ध्यान मे नहीं होते हुए भी बैंक की प्रक्रिया अपनाये बिना उनके नाम ऋण पत्रावलियां तैयार कर करोड़ो रूपयो के गृह ऋण स्वीकृत करवाकर भ्रष्टाचार करना आदि समाचार प्रकाशित हुए। दैनिक भास्कर समाचार पत्रो में प्रकाशित उक्त खबरो के सन्दर्भ में ब्यूरो चौकी के पत्रांक 712 दिनांक 06.05.2019 के संलग्न उक्त प्रकाशित समाचारो को संलग्न कर परिवाद पंजीबद्ध हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित किया गया। तत्पश्चात दैनिक भास्कर पत्र दिनांक 07.08.2020 में प्रकाशित समाचार कि "एक साल बाद रजिस्ट्रार कोर्ट ने सभी 21 अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को माना दोषी " एवं 04 करोड़ 54 हजार रूपये का फर्जी होमलोन बांटा गया जो 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल जायेगा की छायाप्रतियां ब्यूरो के पत्रांक 791 दिनांक 31.08.2020 के संलग्न कर ब्यूरो मुख्यालय परिवाद पंजीबद्ध करने हेतु प्रेषित किया गया। ब्यूरो मुख्यालय द्वारा अपने पत्रांक 3278 दिनांक 17.12.2020 द्वारा आर-2281 दिनांक 09.12.2020 द्वारा रिपोर्ट चाही गई, जिसपर ब्यूरो चौकी के पत्रांक 1303 दिनांक 28.12.2020 द्वारा परिवाद पंजीबद्ध करने हेतु निवेदन किया गया। ब्यूरो मुख्यालय के पत्रांक 603 दिनांक 18.01.2021 द्वारा परिवाद पंजीबद्ध किया जाकर श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस अनिब्यूरो जोधपुर के पत्रांक 211-12 दिनांक 18.01.2021 द्वारा सत्यापन हेतु जॉच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली प्रथम को नियुक्त किया गया। परिवाद का खुला सत्यापन नहीं कर, गोपनीय रूप से सम्पूर्ण सत्यापन से पाया गया कि पाली सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक (पीमीसीबी) के अध्यक्ष, प्रबंधक, ऋण कमेटी के सदस्यों, प्रबंधक बैंक, प्रबंधक शाखा एवं भौतिक सत्यापन टीम सहित ऋण स्वीकृत करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दलाल श्री भरत कुमार पालीवाल से मिलीभगत कर मकान ऋण के नाम पर करोड़ो रूपये नियम विरूद्ध स्वीकृत किये गये। परन्तु लोन लेने वाले व्यक्तियों को बिना जानकारी दिये उनके नाम से होमलोन की पत्रावलियों संचालित कर बिना कोई नियमानुसार लोन की प्रक्रिया करते हुए होम लोन की राशि दलाल द्वारा प्राप्त करना एवं पुनः होम लोन की किश्ते बैंक में जमा नही होने पर उपभोगताओं को वसूली के नोटिस जारी होने पर फर्जी होम लोन का खुलाशा होना सत्यापन से पाया गया। समाचार पत्रों में फर्जी मकान ऋणो की खबरे प्रकाशित होने तथा पाली सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली में उक्त फर्जी मकान ऋण इत्यादि से गैर निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) में अप्रत्यक्ष वृद्धि एवं आवास ऋण तथा अन्य ऋणो में अनियमतताओं की राजस्थान महकारी सोमायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 में क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां जोधपुर खण्ड जोधपुर द्वारा 63 ऋण पत्रावलियों की दिनांक 06.06.2019 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें तथा श्री भोमाराम अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के जांच परिणाम एवं निर्देश आदेश क्रमांक 752-759 दिनांक 14.06.2019 से पाया गया कि पाली सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली के अकृषि ऋण बकाया में एनपीए जो वर्ष 2014-15 में 11.87 प्रतिशत था वह 31.03. 2019 को बढ़कर 37.80 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार पांच वर्षो में एन.पी.ए. में 25.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में कुल आवास ऋण बकाया में एनपीए 9.88 प्रतिशत से बढ़कर 42.42 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार आवास ऋण में बैंक एन.पी.ए. 30.54 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इसी प्रकार मोरगेज ऋण बकाया में एनपीए जो वर्ष 2014-15 में 9.25 प्रतिशत था वह 31.03.2019 को बढ़कर 44.74 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार पांच वर्षो में मोरगेज ऋण का एनपीए 35.49 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि हुई जो गुणवत्तायुक्त नही थी। एनपीए में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक आंवटित लक्ष्यों से अधिक ऋण वितरण किया जाना पत्रावलियों का सही परीक्षण नहीं करना, ऋणी का पुर्नभुगतान क्षमता का सही आंकलन नहीं करना, ऋण की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत सम्पति का सही मूल्यांकन नहीं करना, विभाग/ शीर्ष बैंक द्वारा जारी ऋण नीति की पालना नहीं करना इत्यादि जांच से पाया गया। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग जोधपुर की जांच में पाया गया कि बैंक द्वारा आवास एवं मोरगेज ऋण हेतु शीर्ष शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा ऋण नीति की पालना नहीं की गई। ऋण वितरण के प्रयोजन से उधारकर्ता ऋणी द्वारा एक साथ 3 वर्षो की भरी गई आयकर विवरणियों को बैंक द्वारा स्वीकार किया

गया। प्रस्तुत विवरणी के अनुसार उधारकर्ता ऋणी की वास्तविक आय नहीं है। शाखा प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रो की पूर्ण सतर्कता एवं सावधानीपूर्वक जांच नहीं की गई। ऋण पत्रावलियों में विभिन्न कॉलम रिक्त पाये गये स्वीकृत ऋणों में स्थानीय निकाय से भवन निर्माण की स्वीकृति, नक्शा इत्यादि पारित किया हुआ प्राप्त नहीं किया गया। बैंक द्वारा मजदुरी का पेशा करने वालो व्यक्तियों को भी ऋण दिया गया जिनका आय का साधन निश्चित नही है। शाखा से ऋण पत्रावली जांच एवं अनुशंषा के बाद प्रधान कार्यालय के ऋण अनुभाग को प्राप्त होती है। इनका दायित्व था कि ऋण पत्रावली की स्कूटनी कर सक्षम अधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करते किन्तु ऋण अनुभाग में कार्यरत बैंकिग सहायक एवं वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नही करते हुए लापरवाही पूर्वक पत्रावली स्वीकृत की गई जिससे पाली सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली को 40054970.21 रूपये की वित्तिय हानि होना जांच मे पाया गया। पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पाली में आवास ऋण एवं अकृषि ऋण वितरण में अनियमितता के साथ त्रुटिपूर्ण दस्तावेजो को सम्मिलित कर ऋण प्रक्रियाओ का उल्लंघन करते हुए नियम विरूद्ध स्वीकृत एवं ऋणों से बैंक की परिमम्पतियों में कमी तथा संम्भावित हानि के लिये जांच अधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तिय उत्तरदायित्व निर्धारण कर निम्नांकित दोषी ऋण समिति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निम्नानुसार वित्तिय दायित्व भी निर्धारित किया गया जो निम्नानुसार है- क्र.स. नाम अधिकारी /कर्मचारी दायित्व राशि 01 श्री पुष्पेन्दरसिंह अध्यक्ष सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 5185109.62 02 श्री गणपतसिंह ऋण समिति सदस्य सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 5185109.62 03 श्री भवानीसिंह कविया प्रबंध निदेषक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 5121241.01 04 श्री योगेश पाठक प्रबंध निदेषक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 63868.61 05 श्री अभिशेक सांदू तत्का. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 1887277.03 06 श्री अषोक गौड, तत्का. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 3004340.65 07 श्री नारायण जोषी तत्का. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, पाली 3698381.13 08 श्री मोतीलाल तत्का. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 2504255.01 09 श्री धर्मवीर बींजल प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 587177.63 10 श्री अतुल पुरोहित प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 3749946.63 11 श्री मनीश व्यास प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 2414634.13 12 श्री रामचन्द्र दायमा वरिष्ठ प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 33725.75 13 श्री बृजेष भदोरिया बैंकिग सहायक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 4054213.14 14 श्री अषोक मंगतानी बैंकिग सहायक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 820217.84 15 श्री जितेन्द्र नाथ बैंकिग सहायक, सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 63562.50 16 श्री हाजी मोहम्मद शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 522142.00 17 श्री देवीसिंह राठौड वरिष्ठ प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 101857.14 18 श्री बाबुलाल राठौड शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 220517.86 19 श्री रामचन्द्र गहलोत वरिष्ठ प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, पाली 729092.65 20 श्री नरपतराज मुणोत वरिष्ठ प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 96025.13 21 श्री जगदीश प्रसाद, ऋण पर्यवेक्षक सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक , पाली 12275.13 कुल 4,00,54,970.21 जांच अधिकारी द्वारा पाली सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली के उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अपने-अपने पद का दुरूपयोग कर मिलीभगत मे फर्जी दस्तावेजो के आधार पर नियम विरूद्ध ऋण आवंटन करने के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाली द्वारा उपरोक्तानुसार आरोपियों से दायित्व राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। परिवाद के सम्पूर्ण गोपनीय सत्यापन से यह पाया गया कि आरोपी 1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह अध्यक्ष सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, पाली, 2. श्री गणपतसिंह ऋण समिति सदस्य सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, पाली, एवं अन्य द्वारा अपने-अपने पद का दुरूपयोग कर आपसी मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पाली सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली की 63 पत्रावलियों में 40054970.21/- रूपये की वित्तिय हानि कारित करना सत्यापन मे प्रमाणित पाया गया, अन्य आरोपीगणों की भूमिका अनुसंधान के दौरान स्पष्ट की जायेगी। उपरोक्त आरोपीगणों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13 (2) पीसी एक्ट 1988 व 120 बी भा0दं0स0 का अपराध प्रथम दृष्टिया प्रमाणित हैं। अतः आरोपीगण 1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह उम्र 58 साल जाति राजपुत निवासी कुडकी जिला ब्यावर। तत्कालीन अध्यक्ष दी पाली सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली जिला पाली। 02.श्री गणपतसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह उम्र 59 साल जाति राजपुत निवासी उतवण जिला पाली तत्कालीन सदस्य ऋण कमेटी, दी पाली सेन्ट्रल कॉं ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली जिला पाली के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1) (सी) (डी), 13 (2) पी0सी0 एक्ट 1988 व 120बी भा0द0स0 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारूप क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित हैं। भवदीय (धर्मेन्द्र डूकिया) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण 1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिह उम्र 58 साल जाति राजपुत निवासी कुडकी जिला ब्यावर। तत्कालीन अध्यक्ष दी पाली सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली जिला पाली एवं 2.श्री गणपतसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह उम्र 59 साल जाति राजपुत निवासी उतवण जिला पाली तत्कालीन सदस्य ऋण कमेटी, दी पाली सेन्ट्रल कॉं ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली जिला पाली के विरूद्ध अपराध धारा 13(1) (सी) (डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भा0द0स0 में पंजीबद्ध

कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ओप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर एस.यू., जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 167 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1321-25 दिनांक 09.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ राजस्थान, जयपुर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम । 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परिवाद संख्या 02/2021) अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** OM PRAKASH Chodhary **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,In
Date: 0‌9/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/06/1956				
2	Male	03/08/1958				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)